223/C

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

8 MAR 2016

क्रमांकः–प.4(12)कृषि/ग्रुप–2/2000/ जयपुर दिनांकः–

आदेश

अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैः–

बिन्दु संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
11(1) ख	आवंटित दुकान/गोदामों को लीज पद्धति में परिवर्तित कराने की दशा में मण्डी प्रांगणों में दुकानों/गोदामों के आवंटी अनुज्ञाधारियों द्वारा यह विकल्प किसी भी वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रस्तुत करना होगा, कि वे आवंटित दुकान/गोदाम आवंटन शुल्क (किराया) पद्धति पर रखना चाहते हैं अथवा लीज पद्धति में परिवर्तित कराना चाहते हैं। आवंटित दुकान/गोदामों को लीज पद्धति में परिवर्तित कराने की दशा में आवंटी द्वारा मण्डी की पृथक से निर्धारित डी.एल.सी दर अथवा वर्तमान मण्डी प्रांगण के निकटस्थ क्षेत्र की डी. एल.सी का 50 प्रतिशत राशि देय होगी। इसके साथ आवंटी द्वारा दुकान/गोदाम को लीज पद्धति में परिवर्तन कराये जाने के समय कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा निर्धारित दुकान/गोदाम का मूल्य भी देय होगा किन्तु 13 वर्षीय किराया पद्धति पर आवंटी फर्मो जिनके द्वारा स्वयं की लागत पर निर्माण कराया गया है। उनके द्वारा निर्माण लागत देय नही होगी। जिन अनुज्ञापत्रधारी आवंटियों (13 वर्षीय किराया पद्धति पर आवंटियों सहित) द्वारा 2010 से पहले विकल्प प्रस्तुत कर दिये गये थे, उन्हें विकल्प प्रस्तुत करने के समय प्रभावी डी.एल.सी. दर निकटस्थ/मण्डी प्रांगण हेतु पृथक	आवंटित दुकान/गोदामों को लीज पद्धति में परिवर्तित कराने की दशा में मण्डी प्रांगणों में दुकानों/गोदामों के आवंटी अनुज्ञाधारियों द्वारा यह विकल्प किसी भी वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रस्तुत करना होगा, कि वे आवंटित दुकान/गोदाम आवंटन शुल्क (किराया) पद्धति पर रखना चाहते हैं अथवा लीज पद्धति में परिवर्तित कराना चाहते हैं। आवंटित दुकान/गोदामों को लीज पद्धति में परिवर्तित कराने की दशा में आवंटी द्वारा मण्डी की पृथक से निर्धारित डी.एल.सी दर अथवा वर्तमान मण्डी प्रांगण के निकटस्थ क्षेत्र की डी. एल.सी का 50 प्रतिशत राशि देय होगी। इसके साथ आवंटी द्वारा दुकान/गोदाम को लीज पद्धति में परिवर्तन कराये जाने के समय कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा निर्धारित दुकान/गोदाम का मूल्य भी देय होगा किन्तु 13 वर्षीय किराया पद्धति पर आवंटी फर्मो जिनके द्वारा स्वयं की लागत पर निर्माण कराया गया है। उनके द्वारा निर्माण लागत देय नही होगी। जिन अनुज्ञापत्रधारी आवंटियों (13 वर्षीय किराया पद्धति पर आवंटियों सहित) द्वारा दिनांक 31.03.2013 तक विकल्प प्रस्तुत कर दिये गये थे, उन्हें तत्समय देय डी.एल.सी. दर